कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश (देहरादून)

office of the Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh

Phone/fax No.: 0135-2430660 E-mail: eetdrksh@rediffmail.com

पंत्राक 313 /1सी0(कैम्प) दिनांक 01/02/2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
देहरादून, उत्तराखण्ड़।

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी0/यू0 सी0पी0/06/101/2020/एफ0सी0/1423 दि0 30.09.2020 तथा प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून का पत्रांक 4212/12–1 देहरादून दिनांक 30.12.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 589/1सी0 कैम्प दिनांक 29.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति में सभी शर्तो की पूर्ण आख्या प्रेषित कर दी गई थी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम लड़वाकोट की 3.0450 है0 श्रेणी 5–3–ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरण कर दी गई है। प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून के पत्रांक 640/12–1 दिनांक 22.08.2023 के द्वारा उत्तराखण्ड़ शासन वन अनुभाग–3 संख्या 838/ग–23/1(117)/2020 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 है0 आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित सिविल भूमि को आरक्षित संरक्षित वन घोषित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अग्रसारित करने की कृपा करें ताकि भारत सरकार से उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

संलग्नः– प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून के पत्र की छाया प्रति।
तथा अधिसूचना क छाया प्रति।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

पंत्राक 313 /1सी0(कैम्प) दिनांक 01/02/2024

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता(चतुर्थ) अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : /12–1 देहरादून, दिनांक 30, दिसम्बर, 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक, इन्दिरानगर/ फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– विधान सभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी–चित्तौर–घाईसेन होते हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित 1.5225 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आंवटित सिविल भूमि को आरक्षित संरक्षित वन घोषित के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–640/ 12–1 दिनांक 22.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में आपको अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश द्वारा बार–बार इस कार्यालय को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित लडवाकोट सिविल सोयम भूमि 3.45 है0 को वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने हेतु भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन कराये जाने हेतु पत्र लिखा जा रहा है। उक्त प्रकरण पर इस कार्यालय के पत्रांक–640/12–1, दिनांक 22.08.2023 (छाया प्रति संलग्न–1) के द्वारा आपको उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–3 संख्या—838/ग–23/1 (117)/2020 दिनांक 18.07.2023 (छाया प्रति संलग्न–2) के द्वारा विधासभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी–चित्तौर–घाईसेन होते हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग मे निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित 1.5225 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आंवटित सिविल भूमि को आरक्षित संरक्षित वन घोषित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वार्णित प्रस्ताव को विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित कराना चाहें।

श्री संदीप सेमवाल ना0 अ0

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

भवदीय

प्रत्रांकः–4212/12–1 तददिनांकित

प्रतिलिपिः–वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश को सूचनार्थ प्रेषित।

आवश्यक कार्यवाहि करें

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

संलग्नक-1

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 640 /12-1 देहरादून, दिनांक 22, अगस्त, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः- विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी-चित्तौर-घाईसेन होते हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित 1.5225 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित सिविल भूमि को आरक्षित संरक्षित वन घोंषित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-838 / ग-23 / 1(117) / 2020 दिनांक-18.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित प्रत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-838 / ग-23 / 1(117) / 2020 दिनांक-18.07.2023 के द्वारा विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी-चित्तौर-घाईसेन होते हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित 1.5225 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित सिविल भूमि को आरक्षित संरक्षित वन घोंषित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को विधिवत् स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करना चाहें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः- 640 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्रांक-File No. लीज-12-101/31/2023-2 VM-Forest DepT (Computer No.27754) दिनांक-07.08.2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

संलग्नक-2

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–02
संख्याः /X–2–2020 2023
दिनांक जून, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उप धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी–चित्तौर–घाईसेन होते हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी 5–3–ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के 3.0450 है0 जिसका क्षेत्रफल, एवं सीमा विवरण नीचे तालिकाओं में दिया गया है, को संरक्षित वन घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

भाग–1 क्षेत्र विवरण

क्र0सं0	जनपद	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है0)
1	देहरादून	लड़वाकोट	57	260	2.5050
2				264	0.5400
	योग–				3.0450

भाग–2 सीमा विवरण

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी0पी0एस0 लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है। वृक्षारोपण क्षेत्र की जियारेफरेंस मैप की प्रति संलग्न है।

Co-ordinates of Plantation Site		
ID	Longitude	Latitude
1	78°11'34.799"E	38°16'26.789"N
2	78°11'31.225"E	38°16'26.015"N
3	78°11'29.252"E	38°16'28.340"N
4	78°11'28.275"E	38°16'30.582"N
5	78°11'27.582"E	38°16'30.318"N
6	78°11'26.583"E	38°16'27.777"N
7	78°11'25.909"E	38°16'26.299"N
8	78°11'24.375"E	38°16'25.295"N
9	78°11'26.906"E	38°16'24.073"N
10	78°11'29.580"E	38°16'23.515"N
11	78°11'31.915"E	38°16'23.163"N
12	78°11'33.547"E	38°16'23.293"N
13	78°11'35.106"E	38°16'23.804"N
14	78°11'35.924"E	38°16'24.961"N

भाग–3 अधिकार एवं रियायतें

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

(आर0के0 सुधांशु)
प्रमुख सचिव